उन्नति विहार बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या 2049/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22.08.2024	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। दिनांक 22.08.2024 को पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि ग्राम बुद्धसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर नम्बर 577 रकबा 0.10 है0 577/1 रकबा 0. 31 हैक्टर, 577/2 रकबा 0.02 है0, एवं खसरा नम्बर 589 रकबा 0. 1019 है0, 589/1 रकबा 0.12 है0, 589/2 रकबा 0.06 है0, 589/3 रकबा 0.0781 है० में एवं इन खसरा के उत्तर दिशा की और 200 फीट चौडी सडक पर दर्शित करते हुये मौके पर कम्पनी कब्जा होने के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में प्रार्थी कम्पनी के हित में उपरोक्त संलग्न प्रदर्श के अनुसार सेग्रीगेशन में की गई अशुद्ध तरमीम को शुद्ध करने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें बहस प्रार्थी अधिवक्ता एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि यदि सेग्रीकेशन से पहले प्रार्थी की उक्त खसरा नम्बरान् की तरमीम में चेन्जेज किसी आदेश से नही हुई हो तो एवं गलती सेग्रीकेशन से ही हुई हो तो सेग्रीकेशन के पूर्व के नक्शे की स्थिति बहाल कर तरमीम दुरूस्ती की जावे। निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को सु[illegible]। Signature Not Verified Digitally signed by Himmat Singh Date: 2025.02.10 13:38:49 IST Reason: SelfAttested (हिम्मत सिंह) आर.[illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	